XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने ध्यान-केंद्रित मानव संसाधन विकास के माध्यम से उभरती हुई कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी संगठनात्मक क्षमता को मज़बूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई और कारोबार निरंतरता योजना को मजबूत करने की पहल के साथ अगला चरण, उत्कर्ष[1] 2029 तैयार किया गया। ईआरएम फ्रेमवर्क 2.0 की शुरुआत के साथ उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) को और सुदृढ़ बनाया गया, जबकि आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया।

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक कामकाज के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, आंतरिक लेखापरीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। यह वर्ष 2025-26 के दौरान संचालित की गई प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में परिणामों का मूल्यांकन करता है और वर्ष 2026-27 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 रिज़र्व बैंक की उभरती कार्यात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक के मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने संरचित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से क्षमता निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनसे कर्मचारी भागीदारी और फीडबैक तंत्र को बढाया जा सके और समर्थक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

XI.3 वर्ष के दौरान, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने जोखिमों के कवरेज को व्यापक बनाने, मौजूदा ढांचे को मज़बूत करने और जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता के प्रसार की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने अगले दशक के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार करते हुए उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क 2.0 शुरू किया है।

XI.4 निरीक्षण विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें समवर्ती लेखापरीक्षा प्रक्रिया में संशोधन और लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) के चार्टर की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित किया गया है, और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में एआई/एमएल को अपनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये गए हैं।

XI.5 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) ने विभिन्न सेवाओं के लिए समयसीमाओं को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के विनियामक अनुमोदनों और नागरिक चार्टर सेवाओं की व्यापक समीक्षा की। इसने मध्यावधि कार्यनीतिक फ्रेमवर्क, *उत्कर्ष* 2029 का अगला चरण तैयार किया, और संकट की किसी भी घड़ी में कारोबार निरंतरता को बनाए रखने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी विकसित की।

XI.6 राजभाषा विभाग ने क्षमता निर्माण, हिंदी/ द्विभाषी प्रकाशनों और एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करके भारत

[1] *उत्कर्ष* रिज़र्व बैंक का मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा है जिसके माध्यम से आरबीआई के अधिदेश के निष्पादन में उत्कृष्टता हासिल की जा सके और नागरिकों तथा अन्य संस्थानों के विश्वास को मजबूत बनाया जा सके। *उत्कर्ष* 2029 अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि को कवर करता है।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया है। परिसर विभाग ने हरित ऊर्जा पर लगातार जोर देने के साथ-साथ नए कार्यालय स्थलों और आवासीय भवनों के निर्माण के माध्यम से रिज़र्व बैंक के भौतिक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाया है।

XI.7 इस अध्याय को नौ खंडों में बाँटा गया है। रिज़र्व बैंक के अभिशासन ढांचे से संबंधित गतिविधियां खंड 2 में प्रस्तुत की गई हैं। खंड 3 में मासंप्रवि द्वारा संचालित की गई विभिन्न गतिविधियों और प्रयासों को रेखांकित किया गया है और ईआरएम फ्रेमवर्क पर हुई प्रगति को खंड 4 में प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण विभाग और सीएसबीडी की गतिविधियों पर क्रमशः खंड 5 और 6 में चर्चा की गई है। राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में रखा गया है, तथा खंड 9 में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

2. अभिशासन संरचना

XI.8 केंद्रीय निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक के शासन का कार्य सौंपा गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में सभी गवर्नर, उप गवर्नर और केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं।

XI.9 केंद्रीय बोर्ड को दो समितियों[2] के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, दोनों की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। ये समितियां हैं- केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी) और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)। इसके अलावा, बोर्ड में पांच उप-समितियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक गैर-सरकारी निदेशक द्वारा की जाती है: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस); मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी); भवन उप-समिति (बी-एससी); सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्ड

XI.10 वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय बोर्ड ने कुल 08 बैठकें कीं। सीसीबी ने कुल 46 बैठकें कीं, जिनमें से 34 बैठकों को ई-बैठकों के रूप में आयोजित किया गया। सीसीबी रिज़र्व बैंक के वर्तमान कार्य को देखती है, जिसमें बैंक के साप्ताहिक कार्य-कलापों संबंधी मामलों के विवरण का अनुमोदन भी शामिल है।

XI.11 वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति, जिसमें तीन गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं, ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के स्थान पर कार्य किया। स्थायी समिति ने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित कीं (अनुलग्नक तालिका XI.1-4)।

XI.12 श्री एम. राजेश्वर राव ने 8 अक्टूबर 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।

XI.13 केंद्र सरकार ने श्री शिरीष चंद्र मुर्मू को पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ने दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण किया।

XI.14 श्री टी. रबी शंकर ने 2 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री रोहित जैन को पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप

[2] भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पूर्ववर्ती समिति 8 मई 2025 तक सक्रिय थी और भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 6 मई 2025 को राजपत्रित अधिसूचना जारी करने के साथ ही दिनांक 9 मई 2025 से इसे भुगतान विनियामक बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। श्री रोहित जैन ने दिनांक 4 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री अजय सेठ के स्थान पर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग की सचिव सुश्री अनुराधा ठाकुर को 24 जुलाई 2025 से और अगले आदेश तक नामित किया है।

कार्यपालक निदेशक

XI.17 कार्यपालक निदेशक श्री जयंत कुमार दास, 30 जून 2025 को और श्री अविरल जैन दिनांक 28 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। कार्यपालक निदेशक डॉ. राजीव रंजन स्वेच्छा से 4 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ने उप गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए 8 अक्टूबर 2025 से रिज़र्व बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। श्री रोहित जैन ने उप गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए 4 मई 2026 से रिज़र्व बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। श्री संजय कुमार हांसदा को 3 मार्च 2025 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया; श्री केशवन रामचंद्रन को 1 जुलाई 2025 श्रीमती सोनाली सेन गुप्ता को 9 अक्टूबर 2025, श्रीमती उषा जानकीरमन को 1 दिसंबर 2025 और श्री गुनवीर सिंह को 18 मई 2026 से पदोन्नत किया गया।

3. मानव संसाधन विकास संबंधी गतिविधियां

XI.18 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) रिज़र्व बैंक के भीतर नवोन्मेष और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाने का प्रयास करता है। वर्ष के दौरान संचालित की गई मुख्य गतिविधियों के साथ-साथ वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित किए गए एजेंडा और वर्ष 2026-27 के एजेंडा के कार्यान्वयन की स्थिति पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2025-26 के लिए एजेंडा

XI.19 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक में कौशल में कमी की पहचान और विश्लेषण (पैराग्राफ XI.20); तथा
- रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण और विकास पारिस्थितिकी तंत्र (*उत्कर्ष* 2.0) में वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) ढांचे को एकीकृत करना [पैराग्राफ XI.21]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.20 कौशल में कमी की पहचान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसकी सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन हैं।

XI.21 एमओओसी के कार्यान्वयन के प्रायोगिक चरण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। एमओओसी का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन चल रहा है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.22 रिज़र्व बैंक ने चेन्नई में रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), पुणे में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), मुंबई में पर्यवेक्षी महाविद्यालय (सीओएस), भुवनेश्वर में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई) तथा मुंबई (बेलापुर), नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै में चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी) नामक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, इनका उद्देश्य कर्मचारियों के लक्षित समूह की दक्षताओं को बढ़ाना और मजबूत मानव संसाधन क्षमताओं का निर्माण करना है। संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम प्रशिक्षण, कार्यशालाओं,

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम (अप्रैल-मार्च)

प्रशिक्षण संस्थान	2023-24		2024-25		2025-26	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	109	2,437 (42)	135	3,502 (245)	109	2,845 (183)
सीओएस#	70	2,889 (1,191)	51	1,432 (218)	79	3,287 (269)
सीएबी, पुणे	281	44,053 (43,198)	238	35,969 (34,935)	241	41,349 (40,321)
ईसीसीटीआई	23	619 (22)	24	711	23	652
जेडटीसी (श्रेणी I)	118	2,260	105	2,203	82	2,077
जेडटीसी (श्रेणी III)	107	3,084	117	3,579	111	2,721
जेडटीसी (श्रेणी IV)	32	843	32	671	27	513

आरबीएससी: रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय। सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।
ईसीसीटीआई: एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। जेडटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।
#: पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), केंद्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ है।
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और/या बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

सेमिनारों और सम्मेलनों (तालिका X1.1) के स्वरूप के होते हैं। रिज़र्व बैंक ने नेतृत्व विकास कार्यक्रम, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कार्यक्रम और अर्थशास्त्र/ वित्त जैसे विषयों में आवश्यकता आधारित (क्यूरेटेड) कार्यक्रमों जैसे अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाहरी संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2023-24	570	390 (29)
2024-25	564	569 (86)
2025-26	650	582 (64)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ऑनलाइन मोड को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.23 रिज़र्व बैंक ने 2025-26 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया (तालिका XI.2)। भारत में बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

अध्ययन छुट्टी संबंधी योजनाएं

XI.24 कुल सत्रह अधिकारियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन छुट्टी का लाभ लिया है, जिनमें से नौ अधिकारी विदेशों में उच्च अध्ययन कर रहे हैं।

अन्य पहल

अनुदान और दान (एंडोमेंट)

XI.25 रिज़र्व बैंक द्वारा इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹33.7 करोड़ की

वित्तीय सहायता प्रदान की गई; उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं शिक्षण केंद्र (सीएएफआरएएल), मुंबई को ₹18.6 करोड़ रुपये; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹1.01 करोड़ की राशि दी गई है; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹4.2 करोड़ रुपये; और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.95 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

औद्योगिक संबंध

XI.26 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त संघों/ परिसंघों की केंद्रीय इकाइयों के साथ 14 बैठकें कीं। क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने इन संघों/ परिसंघों की स्थानीय इकाइयों के साथ तिमाही/ छमाही बैठकें आयोजित कीं। बैंकिंग उद्योग में वेतन समझौते के अनुरूप, सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। संशोधित वेतन 1 नवंबर 2022 से कर्मचारियों को वितरित किया गया। इसके अलावा, 01 नवंबर 2022 से पहले रिज़र्व बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन को 01 नवंबर 2022 से संशोधित किया गया।

कर्मचारियों के साथ वार्तालाप

XI.27 रिज़र्व बैंक ने संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के विचारों और फीडबैक का उपयोग करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। वॉयस (वॉइसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट एंड एक्सेल) पहल कर्मचारियों को मानव संसाधन (एचआर) अधिकारियों के साथ मुक्त-प्रवाह प्रारूप में बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्ष 2025-26 के दौरान रिज़र्व बैंक ने नौ वॉयस सत्र आयोजित किए, जिनमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) और केंद्रीय कार्यालय के विभागों (सीओडी) के 181 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

XI.28 कर्मचारियों की निरंतर सहभागिता को बढ़ावा देने और मूल संगठनात्मक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2023-24 में एक टाउन हॉल पहल, 'वार्तालाप' की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2025-26 में, रिज़र्व बैंक में 217 टाउनहॉल बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें 11,035 कर्मचारी शामिल हुए।

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

XI.29 वर्ष 2025 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 247 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.30 दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, रिज़र्व बैंक की कुल कर्मचारियों की संख्या 13,220 थी, जो दिसंबर 2024 की समाप्ति की कर्मचारी संख्या की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम थी (सारणी XI.4)।

XI.31 दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, रिज़र्व बैंक में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,073 थी और दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 324 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान, पांच पूर्व सैनिकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले छह व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की भर्ती की गई।

XI.32 वर्ष 2025 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी), बौद्ध कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रबंधन और प्रतिनिधियों के बीच अलग-अलग चार बैठकें आयोजित की गईं।

सारणी XI. 3: 2025 में रिज़र्व बैंक द्वारा भर्तियां*

श्रेणी	कुल	*जिनमें से:*			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	78	10	5	29	4
श्रेणी III	167	14	28	32	17
श्रेणी IV	2	1	1	0	0
कुल	**247**	**25**	**34**	**61**	**21**

*: जनवरी-दिसंबर, 2025।
एससी: अनुसूचित जाति। एसटी: अनुसूचित जनजाति।
ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग। ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणीवार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			एससी		एसटी		ओबीसी		एससी	एसटी	ओबीसी
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	7,325	7,517	1,121	1,170	519	535	1,907	2,043	15.6	7.1	27.2
श्रेणी III	3,496	3,206	558	483	283	274	1,073	989	15.1	8.5	30.9
श्रेणी IV	2,699	2,497	428	371	215	201	890	858	14.9	8.0	34.4
कुल	**13,520**	**13,220**	**2,107**	**2,024**	**1,017**	**1,010**	**3,870**	**3,890**	**15.3**	**7.6**	**29.4**

*: दिसंबर के अंत में।
स्रोत: आरबीआई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.33 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013' के अनुसार दिशानिर्देश जारी किए थे। वर्ष 2025-26 के दौरान, सात नई शिकायतें प्राप्त हुईं और कुल आठ मामलों का निपटारा किया गया। रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्वास्थ्य संबंधी पहल

XI.34 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वर्तमान कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों, दोनों के लिए चिकित्सा योजनाएँ लागू की हैं। इसके अतिरिक्त, स्टाफ-सदस्यों के बीच निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य पहल 'सेहत संपदा' के अंतर्गत, 'माई फिटनेस मंत्र' नाम से एक देशव्यापी फिटनेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.35 वर्ष 2025-26 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 31,995 आवेदन तथा 2,567 अपीलें प्राप्त हुईं। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम पर बैंक द्वारा छह प्रशिक्षण कार्यक्रम और 129 सत्रों का भी आयोजन किया गया।

रिज़र्व बैंक में सतर्कता-संबंधी गतिविधियाँ

XI.36 रिज़र्व बैंक की सतर्कता इकाई, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र नियंत्रण में कार्य करती है और यह द्वि-स्तरीय व्यवस्था के रूप में संगठित है, जिसमें केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता कक्ष (सीवी कक्ष) कार्यरत है और बावन शाखा सतर्कता इकाइयाँ कार्यरत हैं। रिज़र्व बैंक

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और बेंचमार्क विकलांगता वाले स्टाफ सदस्यों की कुल संख्या*

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD)			
		दृष्टिबाधित (VI)	श्रवण बाधित (HI)	आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (ओएच)	बौद्धिक विकलांगता ('डी और ई')**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	261	85	16	93	4
श्रेणी III	254	36	2	33	1
श्रेणी IV	558	15	6	31	1

*: 31 दिसंबर, 2025 तक।
**: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और भारत सरकार द्वारा 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण' के संबंध में 15 जनवरी, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, पीडब्ल्यूबीडी वर्गीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (ए) अंधापन और कम दृष्टि; (बी) बहरा और सुनने में कठिनाई; (ग) प्रमस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर विकलांगता; (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी; (ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत व्यक्तियों में से बहरे-अंधता सहित अनेक विकलांगताएं।
स्रोत: आरबीआई।

में सतर्कता से जुड़े कार्यों का समग्र दायित्व केंद्रीय सतर्कता कक्ष के अधीन निहित है, जिसमें सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न निवारक तथा प्रतिरोधात्मक उपाय लागू किए गए हैं।

वर्ष 2026-27 के लिए एजेंडा

XI.37 वर्ष के लिए निर्धारित रोडमैप में विभाग की निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ शामिल होंगी:

- वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसीएस) का पूर्ण क्षमता से कार्यान्वयन; तथा
- रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय से अल्पा-अवधि के निजी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का प्रारंभ।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.38 रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए तीन-स्तरीय आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढाँचे में बैंक का जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) इस व्यवस्था की दूसरी रक्षा-पंक्ति[3] को स्थापित करता है और यह उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क के निर्माण एवं बैंक में उसके संचालन के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2025-26 के लिए एजेंडा

XI.39 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया था :

- जोखिम से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग तथा जोखिम रजिस्टरों के निर्माण हेतु जनवरी 2020 में शुरू की गई एकीकृत जोखिम निगरानी एवं घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) संबंधी एप्लिकेशन को संशोधित किया जाएगा, जिससे एक व्यापक जोखिम भंडार (रिपॉज़िटरी) और अन्य उन्नत जोखिम प्रबंधन साधनों को शामिल किया जा सके, ताकि उक्त एप्लिकेशन में उपयोगकर्ता के अनुभव एवं कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सके (अनुच्छेद XI.40); तथा
- संशोधित सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति 2024 के कार्यान्वयन हेतु परिचालन प्रक्रियाएँ सर्वश्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) प्रथाओं के अनुरूप जारी की जाएँगी (अनुच्छेद XI.40)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.40 संशोधित आईआरआईएस (आईआरआईएस) एप्लिकेशन को विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है और नया एप्लिकेशन अर्थात् 'नेक्स्ट जेन- आईआरआईएस (आईआरआईएस) को 1 अप्रैल 2026 से कार्यान्वित (लाइव) कर दिया गया है। संशोधित सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति 2024 के कार्यान्वयन हेतु परिचालन प्रक्रियाओं में संशोधन का कार्य दिसंबर 2025 के अंत तक पूर्ण कर लिया गया था, ताकि इसे उभरते हुए नए खतरों और इस क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ढाला जा सके।

अन्य पहल

उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन 2.0 फ्रेमवर्क

XI.41 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संगठनात्मक लचीलेपन को मजबूत बनाने हेतु अगले दशक के लिए एक रोडमैप के रूप में ईआरएम (ERM) फ्रेमवर्क 2.0 लागू किया है। इसका उद्देश्य आंतरिक जोखिम प्रबंधन को अनुपालन-आधारित दृष्टिकोण से हटाकर मूल्य-सृजनकारी और पूर्वानुमान-आधारित दृष्टिकोण की ओर ले जाना है। यह फ्रेमवर्क उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकों के उपयोग, रिज़र्व बैंक के व्यापक अधिदेश को प्रभावित करने वाले उभरते हुए जोखिमों के लिए बेहतर तैयारी, जोखिम परिदृश्य की बढ़ती जटिलता के अनुरूप जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में निरंतर सुधार, और एक मजबूत जोखिम संस्कृति तथा उद्यम-व्यापी जागरूकता को बढ़ावा देने पर बल देता है; जो आवश्यक संरचनात्मक और नीतिगत परिष्कारों द्वारा समर्थित है।

वर्ष 2026–27 के लिए एजेंडा

XI.42 वर्ष 2026–27 के लिए, विभाग निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- कारोबारी क्षेत्रों को जोखिमों के कारगर प्रबंधन में सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित कारोबारी क्षेत्रों की विस्तृत जोखिम प्रोफाइलिंग की जाएगी।

[3] बैंक के अलग-अलग कारोबारी क्षेत्र सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करते हैं और वे अपने-अपने कार्यक्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी हैं, जबकि सुरक्षा की दूसरी पंक्ति जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) है, जो केंद्रीकृत जोखिम निगरानी कार्य का निष्पादन करता है, और सुरक्षा की तीसरी पंक्ति में बैंक का निरीक्षण समाविष्ट है, जो निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के माध्यम से जोखिम आश्वासन की भूमिका निभाता है।

- 'रिज़र्व बैंक में पैच और कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन की प्रभावशीलता" पर एक विषयगत समीक्षा करना

5. आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण

XI.43 निरीक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रणालियों का परीक्षण और मूल्यांकन करता है तथा जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) फ्रेमवर्क के अंतर्गत शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय निदेशक मंडल को जोखिम के संबंध में आश्वस्त करता है। उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना के अंतर्गत सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में, निरीक्षण विभाग केंद्रीय निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को रिपोर्ट करता है। विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) तंत्र का भी संचालन करता है।

XI.44 विभाग, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के पर्यवेक्षण के संबंध में एआरएमएस के साथ-साथ कार्यपालक निदेशकों की समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा विभाग के अंतर्गत आने वाले पाँच क्षेत्रों में स्थित आंचलिक निरीक्षणालय लेखापरीक्षित कार्यालयों को अपने आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करते हैं, साथ ही लेखापरीक्षा अनुपालन की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के कार्यक्षेत्रों पर स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आश्वासन प्रदान करने में विभाग की सहायता करते हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए एजेंडा

XI.45 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय (पैराग्राफ XI.46) करना;
- निरीक्षण विभाग के चार्टर का निर्माण (पैराग्राफ XI.46);
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन (पैराग्राफ XI.47); तथा
- निम्नलिखित विषयों पर विषयगत अध्ययन कार्य करना: (i) वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (एएमसी)/ करारों के कार्यान्वयन की स्थिति से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण; (ii) आपदा राहत (डिज़ास्टर रिकवरी) और कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुपालन; और (iii) अभिलेखीकरण और अभिलेख प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की स्थिति (पैराग्राफ XI.47)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.46 समवर्ती लेखा परीक्षकों के चयन की प्रक्रिया की समीक्षा की गई तथा वर्ष के दौरान संशोधित परिपत्र जारी किया गया। निरीक्षण विभाग के चार्टर को अंतिम रूप दे दिया गया है।

XI.47 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में एआई और एमएल को अपनाने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने हेतु गठित एक आंतरिक कार्य समूह ने फरवरी माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वर्ष 2025–26 के एजेंडा में उल्लिखित विषयगत अध्ययन पूर्ण कर लिए गए हैं।

प्रमुख गतिविधियां

XI.48 वर्ष के दौरान विभाग ने एआरएमएस चार्टर की समीक्षा की गई, जिसमें वित्तीय प्रतिवेदन, आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी, लेखापरीक्षा तथा अनुपालन से संबंधित इसके पर्यवेक्षण कार्यों को सम्मिलित किया गया।

XI.49 वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली में पूर्ण रूप से स्वचालन कर लिया गया है।

वर्ष 2026–27 के लिए एजेंडा

XI.50 इस वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- एकीकृत विषयगत समीक्षाएँ पूर्ण करना ;
- लेखा परीक्षणीय कार्यालयों के वर्गीकरण की समीक्षा और परिष्करण करना तथा आश्वासन समन्वय को सुदृढ़ बनाना ; तथा
- निरीक्षण क्षमता का संवर्द्धन करना।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.51 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा (*उत्कर्ष*) तैयार करता है और समन्वय करता है, बैंक का वार्षिक बजट तैयार करता है, बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यय की निगरानी करता है तथा विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभ और कर्मचारी कल्याण संबंधी निधियों का अनुरक्षण करता है। विभाग अपने महत्त्वपूर्ण कार्य-कलापों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) को तैयार करता है और उसका क्रियान्वयन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित चार संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह नए कार्यालयों के उद्घाटन से संबंधित कार्य भी देखता है और भारतीय रिज़र्व बैंक की नागरिक चार्टर सेवाओं के अंतर्गत उनके प्रदर्शन की निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2025–26 के लिए एजेंडा

XI.52 वर्ष 2025–26 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीपी) के लिए डैशबोर्ड का विकास (पैराग्राफ XI.53);
- *उत्कर्ष* 2.0 की समीक्षा (पैराग्राफ XI.54);
- *उत्कर्ष* 2029 को तैयार करना (पैराग्राफ XI.54); तथा
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी चार संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाना (पैराग्राफ XI.55)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.53 कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीपी) के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, जिसमें इंटरैक्टिव डैशबोर्ड शामिल है, स्थापित किया गया है, यह एप्लिकेशन कारोबार निरंतरता में व्यवधान के समय संकट निवारण के साधन के रूप में भी कार्य करेगा।

XI.54 वर्ष के दौरान 2023–2025 की अवधि के लिए *उत्कर्ष* 2.0 की समीक्षा पूर्ण कर ली गई है। अगला मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा (*उत्कर्ष* 2029) अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि के लिए तैयार किया गया है (बॉक्स XI.1)।

XI.55 विभाग ने अपने शासी बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी चार संस्थानों, जैसे सीएएफआरएएल, आईजीआईडीआर, एनआईबीएम और आईआईबीएम के अभिशासन को सुदृढ़

बॉक्स XI.1

उत्कर्ष 2029 – वर्ष 2026-29 के लिए रिज़र्व बैंक की मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा

रिज़र्व बैंक की मध्यम-अवधि कार्यनीति रूपरेखा - *उत्कर्ष* 2029, अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, जिसमें तीन साल की अवधि 2026-29 को शामिल किया गया है। *उत्कर्ष* 2029 रिज़र्व बैंक का मध्यावधि फ्रेमवर्क बैंक की कार्यनीति प्राथमिकताओं को संप्रेषित करता है, जिसमें एक त्रि-स्तरीय संरचना (चार्ट-1) शामिल है, जो छह कार्यनीतिक स्तंभों पर आधारित है, जोकि रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण और मूल्यों से और भी पुष्ट होते हैं। व्यापक और प्रभावशाली कार्यों को *उत्कर्ष* 2029 के दायरे में लाया गया है, जबकि रिज़र्व बैंक के नियमित कार्य संबंधित विभागों की वार्षिक कार्य-योजनाओं के तहत जारी रहेंगे। कार्यनीति स्तंभों के तहत पूर्ण किए जाने वाले कार्यों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विनियमों की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत बनाना, अधिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को जारी रखना, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजारों की गहराई को बढ़ाना, तेज़ गति से नई तकनीकों को अपनाना और अंतरराष्ट्रीयकरण की पहल का विस्तार करना है, जिससे रिज़र्व बैंक हर तरह से भविष्य के लिए एक तैयार संगठन बन सके।

चार्ट-1 : उत्कर्ष 2029 की संरचना

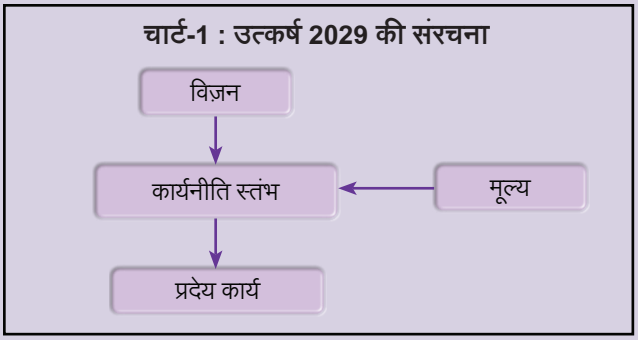

स्रोत : आरबीआई।

करना जारी रखा। इन संस्थानों के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करने और रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने नीतिगत क्षेत्रों में उनकी अनुसंधान क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित किया गया था।

प्रमुख गतिविधियां

XI.56 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की विनियामक अनुमोदनों और नागरिक चार्टर सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया। नागरिक चार्टर के तहत 204 सेवाओं की एक संशोधित सूची 1 जुलाई 2025 को जारी की गई थी, जिसकी आगे समीक्षा की गई और 1 मार्च 2026 तक 200 सेवाओं में संशोधन किया गया। नागरिक चार्टर के तहत कार्य निष्पादन को हर महीने के पहले कार्य दिवस पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है।

XI.57 संकट की स्थिति के दौरान कारोबारी निरंतरता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संकट से पहले, उसके दौरान और बाद में किए जाने वाले उपायों पर व्यावसायिक इकाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए रखा गया था।

XI.58 बजट प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के लिए बजट रेटिंग फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित किया गया था।

रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाहरी संस्थानों की गतिविधियाँ

XI.59 वर्ष के दौरान, आईजीआईडीआर में शिक्षण क्षमता बढ़ाई गई। इसके अलावा, संस्थानों के बीच सहयोग और रिज़र्व बैंक के साथ परियोजना जुड़ाव को भी मज़बूत किया गया। सीएएफआरएएल, एनआईबीएम और आईआईबीएम में कुल 357 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 9,986 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों की जरूरतों को ध्यान रखा गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आईजीआईडीआर के 87 छात्रों को अर्थशास्त्र में डिग्री (तीन पीएचडी, सात एम.फिल और 77 एम.एससी) प्रदान की गई और एनआईबीएम के 131 छात्रों को पीजीडीएम (बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं) की डिग्री संस्थान द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदान की गई।

वर्ष 2026-27 के लिए एजेंडा

XI.60 वर्ष के लिए विभाग के एजेंडा में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करना; तथा
- पात्र उप-कार्यालयों को स्वतंत्र लेखा इकाइयों में परिवर्तित करना।

***7.* राजभाषा**

XI.61 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप, राजभाषा विभाग, जो रिज़र्व बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है, ने व्यापक कार्य योजना तैयार करके और एक मज़बूत निगरानी तंत्र स्थापित करके कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ाना सुनिश्चित किया है।

वर्ष 2025-26 के लिए एजेंडा

XI.62 *विभाग ने वर्ष* 2025-26 *के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे*:

- बैंक में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.63);
- बैंक में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.63);
- रिज़र्व बैंक में निजी सचिवों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना (पैराग्राफ XI.63);
- माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों/ मुख्य महाप्रबंधकों/

प्रभारी अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.64); तथा

- रिज़र्व बैंक की विभिन्न पत्रिकाओं में हिंदी में किए गए गुणवत्तापूर्ण योगदान को प्रदर्शित करने वाली एक नई समेकित पत्रिका प्रकाशित करना (पैराग्राफ XI.65)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.63 राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षण और संकाय विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः अगस्त और सितंबर 2025 में आयोजित किए गए। निजी सचिवों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन 3 जनवरी 2026 को किया गया।

XI.64 अगस्त 2025 में माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर कार्यपालकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

XI.65 14 अगस्त 2025 को 'संचयिका' नाम की नई हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया गया।

प्रमुख गतिविधियां

राजभाषा संबंधी माननीय संसदीय समिति द्वारा रिज़र्व बैंक के दौरे

XI.66 वर्ष 2025-26 के दौरान, राजभाषा पर माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने गुवाहाटी, शिलांग, देहरादून, बेलापुर कार्यालयों और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे का निरीक्षण किया। प्रारूपण और साक्ष्य उप-समिति ने कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय और आरबीएससी, चेन्नै का निरीक्षण/ चर्चात्मक कार्यक्रम किया।

प्रशिक्षण/ सम्मेलन

XI.67 चंडीगढ़, शिलांग, रांची, हैदराबाद, देहरादून, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में रिज़र्व बैंक के कार्यालयों ने अपने-अपने शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की अध्यक्षता प्राप्त की। नराकास के कामकाज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जून 2025 को आयोजित किया गया था। राजभाषा सम्मेलन 28 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया।

XI.68 वर्ष 2025-26 के दौरान, लगभग 278 और 136 स्टाफ-सदस्यों ने भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित क्रमशः '*पारंगत*' और '*प्राज्ञ*' परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वर्ष के दौरान केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रकाशन

XI.69 विभाग ने अपनी अर्ध-वार्षिक पत्रिका, 'कृति-अनुकृति' प्रकाशित की, जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया है, और रिज़र्व बैंक की विभिन्न पत्रिकाओं में शामिल सर्वश्रेष्ठ लेखों का संकलन 'संचयिका' नाम से प्रकाशित किया गया है। वर्ष के दौरान हिंदी पत्रिका 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के दो संस्करण भी प्रकाशित हुए।

वर्ष 2026-27 के लिए एजेंडा

XI.70 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है:

- राजभाषा पर संसदीय समिति के दौरों पर कार्यपालकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना;
- राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षण और अनुवाद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- रिज़र्व बैंक के निजी सचिवों और सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करना; तथा
- रिज़र्व बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संगोष्ठी का आयोजन करना।

8. परिसर विभाग

XI.71 परिसर विभाग का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए रिज़र्व बैंक के परिसर में हरित रेटिंग के साथ वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता और सुंदरता को एकीकृत करके 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना है।

वर्ष 2025-26 के लिए एजेंडा

XI.72 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- दिसंबर 2025 के लिए *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.73);
- रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कार्यालय/ आवासीय स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास करना (पैराग्राफ XI.74); तथा
- वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (पैराग्राफ XI.74) में आयोजना चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.73 *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित सभी लक्ष्य अपने बेंचमार्क को पार कर गए हैं। नौ कार्यालयों और 16 आवासीय भवनों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना 11 कार्यालयों और 19 आवासीय भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग 9.1 प्रतिशत (लक्ष्य 7.5 प्रतिशत) तक पहुंच गया और रिज़र्व बैंक ने 14.5 प्रतिशत (लक्ष्य 7.5 प्रतिशत) की ऊर्जा बचत हासिल की।

XI.74 कुछ स्थानों पर कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए भूमि प्लॉट के अधिग्रहण के साथ पर्याप्त कार्यालय स्थान का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। एक आवासीय परियोजना के लिए निर्माण शुरू हो गया है, जो पहले योजना चरण में थी।

प्रमुख गतिविधियां

XI.75 वर्ष 2025-26 के दौरान, एक नए कार्यालय भवन और एक शिक्षण संस्थान का निर्माण पूरा हुआ। इसके अलावा, विभिन्न निर्माण परियोजनाएं शुरू की गईं और इनका निर्माण विभिन्न तरीकों के तहत किया जा रहा हैं। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2026 के अंत तक सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करना जारी रखा, जिसमें 29 कार्यालय और 63 आवासीय परिसर 4,725 KWp (किलोवाट-पीक) की संयुक्त क्षमता वाले संयंत्रो से सुसज्जित थे।

वर्ष 2026-27 के लिए एजेंडा

XI.76 वर्ष 2026-27 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त आवासीय स्थान सुनिश्चित करना; तथा
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में आयोजना चरण में जारी विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।

9. निष्कर्ष

XI.77 वर्ष के दौरान, निरंतर क्षमता निर्माण, कर्मचारियों की बढ़ी हुई सहभागिता और कई कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन को सक्षम किया गया। ईआरएम फ्रेमवर्क 2.0 की शुरुआत, अधिक स्वचालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उठाए गए प्रारंभिक कदमों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाया गया। *उत्कर्ष* 2029 के निर्माण और संबंधित प्रक्रियाओं के परिशोधन के माध्यम से कार्यनीतिक योजना और कारोबार निरंतरता व्यवस्था को बढ़ाया गया। राजभाषा विभाग ने भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया और परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के लिए पर्यावरण के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है।

अनुबंध

सारणी XI.1: 1 अप्रैल, 2025 - 31 मार्च, 2026 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
1	2	3	4
संजय मल्होत्रा	8(1)(ए)	8	8
एम. राजेश्वर राव*	8(1)(ए)	4	4
टी. रबी शंकर	8(1)(ए)	8	7
स्वामीनाथन जे.	8(1)(ए)	8	8
पूनम गुप्ता$	8(1)(ए)	8	7
शिरीष चंद्र मुर्मू@	8(1)(ए)	4	4
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	8	8
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	8	6
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	8	7
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	8	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	8	2
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(सी)	8	3
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(सी)	8	7
रवींद्र एच. ढोलकिया	8(1)(सी)	8	8
अजय सेठ#	8(1)(डी)	3	3
नागराजू मद्दीराला	8(1)(डी)	8	6
अनुराधा ठाकुर**	8(1)(डी)	5	4

*: 8 अक्टूबर, 2025 तक उप गवर्नर।
$: 2 मई, 2025 को उप गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।
@: 9 अक्टूबर, 2025 को उप गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।
#: 23 जुलाई, 2025 तक निदेशक।
**: जुलाई 24, 2025 से निदेशक।

सारणी XI.2: 1 अप्रैल, 2025 - 31 मार्च, 2026 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड समिति			
संजय मल्होत्रा	8(1)(ए)	46	43
एम. राजेश्वर राव*	8(1)(ए)	25	23
टी. रबी शंकर	8(1)(ए)	46	44
स्वामीनाथन जे.	8(1)(ए)	46	43
पूनम गुप्ता$	8(1)(ए)	41	37
शिरीष चंद्र मुर्मू@	8(1)(ए)	21	20
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	22	22
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	23	23
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	36	36
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	16	3
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	18	14
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(सी)	25	25
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(सी)	23	23
रवींद्र एच. ढोलकिया	8(1)(सी)	42	42

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड			
संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष	12	12
स्वामीनाथन जे.	उपाध्यक्ष	12	12
एम. राजेश्वर राव*	सदस्य	6	4
टी. रबी शंकर	सदस्य	12	9
पूनम गुप्ता$	सदस्य	11	10
शिरीष चंद्र मुर्मू@	सदस्य	6	6
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	12	8
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	8
रवींद्र एच. ढोलकिया	सदस्य	12	7
रेवती अय्यर	सदस्य	12	11

III. भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)
भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड 8 मई, 2025 तक सक्रिय था और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 6 मई, 2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी करने के साथ 9 मई, 2025 से भुगतान नियामक बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 1 अप्रैल, 2025 और 8 मई, 2025 के बीच बीपीएसएस की कोई बैठक नहीं हुई।

*: 8 अक्टूबर, 2025 तक उप गवर्नर।
$: 2 मई, 2025 को उप गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।
@: 9 अक्टूबर, 2025 को उप गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।

सारणी XI.3: 1 अप्रैल, 2025 - 31 मार्च, 2026 के दौरान बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	7	3
वेणु श्रीनिवासन^	सदस्य	शून्य	शून्य
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	7	1
स्वामीनाथन जे.	सदस्य	7	7

^: 4 अप्रैल, 2025 तक सदस्य।

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
पंकज रमणभाई पटेल	अध्यक्ष	2	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	2	2

III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा	अध्यक्ष	1	1
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	1	1

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	3	3
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	3	3

V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	2	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	2	शून्य
स्वामीनाथन जे.@	सदस्य	शून्य	शून्य
पूनम गुप्ता&	सदस्य	शून्य	शून्य
टी. रबी शंकर$	सदस्य	2	2
वेणु श्रीनिवासन*	सदस्य	शून्य	शून्य

@: 1 मई, 2025 तक सदस्य।

&: 2 मई, 2025 से 8 अक्टूबर, 2025 तक सदस्य।

$: 9 अक्टूबर, 2025 से सदस्य।

*: 23 जनवरी, 2026 तक सदस्य।

सारणी XI.4: 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026* के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के स्थान पर केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
सचिन चतुर्वेदी$	अध्यक्ष	2	2
रेवती अय्यर**	सदस्य	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	2	2
पश्चिमी क्षेत्र			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी#	सदस्य	2	2
उत्तरी क्षेत्र			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी#	सदस्य	2	1
दक्षिणी क्षेत्र			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी#	सदस्य	2	2

*: केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के स्थान पर कार्य कर रही है।
$: 15 जुलाई, 2025 से अध्यक्ष।
**: 14 जुलाई, 2025 से अध्यक्ष।
#: 2 मई, 2025 से सदस्य।